दिनांक 12.09.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना द्वारा राज्यस्तरीय अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देश

1. दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाईः– अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के मामले में चलाई जा रही विभागीय कार्रवाई में दोषी पदाधिकारियों को त्रुटि के अनुरूप दंड देना सुनिश्चित किया जाय। कई मामलों में बड़ी गलतियों के लिए अति साधारण दंड दिये जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय इस पर नियंत्रण एवं अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

– पुलिस मुख्यालय।

2. भूमि विवादः– पुलिस तथा राजस्व के लिए भूमि विवाद सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश आपराधिक घटनाएं भूमि विवाद के कारण घटित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देने की कृपा की है कि थाना एवं अंचल अधिकारी के स्तर पर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाय। यदि उनसे समस्या का समाधान नहीं हो तो वरीय स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसका समाधान किया जाय और यदि तब भी समाधान नहीं होता है तो जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक स्तर पर भूमि विवाद का निपटारा किया जाय ताकि असंतुष्ट पक्ष अपराध की ओर न जाएं।

– सभी जिला दण्डाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, बिहार।

3. पुलिस बल पर आक्रमण होने से पुलिस की छवि धुमिल होती है और असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है अतः पर्याप्त बल के साथ पुलिस कार्रवाई की जाय तथापि यदि घटना होती है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय और आरोप पत्र शीघ्रातिशीघ्र समर्पित किया जाय।

– सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

4. पुलिस पर आक्रमण बंद इत्यादि के दौरान हिंसा के मामलों का शीघ्र अनुसंधान एवं त्वरित विचारण सुनिश्चित किया जाय।

– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

5. अपराध नियंत्रण का पुलिस गस्ती अपरिहार्य उपाय है किन्तु धीरे–धीरे इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है, इसे प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है। अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त स्वयं थानाध्यक्ष को भी गस्ती में निकाला जाय तथा अन्य वरीय पदाधिकारी भी गस्ती तथा गस्ती चेकिंग का कार्य अवश्य करें।

– सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

6. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार क्षेत्र में उपलब्ध वाहनों की नियमित परेड करायें और सुनिश्चित करें

Scanned by CamScanner

कि मरम्मति योग्य वाहन की मरम्मति शीघ्रातिशीघ्र कराई जाय। जो वाहन मरम्मति योग्य नहीं रहे हैं उन्हें नियमानुसार रद्द घोषित किया जाय और उनके विरूद्ध नये वाहन क्रय किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक थाने में कम–से–कम दो वाहन चालू हालत में अवश्य उपलब्ध रहें।

– पुलिस मुख्यालय।

7. थाने का वाहन किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाय, थाना पर प्राईवेट चालक नहीं रखे जायें, थाना कार्य के लिए नये वाहन क्रय होने तक कम–से–कम अवधि के लिए भाड़े पर वाहन लिया जाय।

– पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन)/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

8. क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस कर्मियों का अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण नहीं किया जाय। यदि प्रशासनिक आधार या किसी विषय में दोषी पाये जाने पर निलंबन या स्थानान्तरण होता है तो तत्काल उन्हें दूसरे समकक्ष स्थानों पर पदस्थापन नहीं किया जाय अन्यथा कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दोषी अधिकारियों जिन्हें निलंबित किया जाय उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाय और विभागीय कार्यवाही का निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निष्पादित किया जाय।

– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

9. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के पदस्थापन में अधिकारी की निष्ठा और कार्य क्षमता का ध्यान रखा जाय तथा सामाजिक एकरूपता संधारित की जाय। साथ हीं यह सुनिश्चित किया जाय कि एक ही पदाधिकारी समान या भिन्न रैंकों में बार–बार एक ही स्थान पर पदस्थापित न हो जाएं। यदि ऐसा हुआ है तो उसकी समीक्षा कर संशोधन किया जाय।

– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

10. अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक तरीके अपनाए जायें, विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाई जाए, FSL जांच की समय सीमा निर्धारित की जाय। किन्तु अनुसंधान के पारम्परिक तरीके को विलुप्त न होने दिया जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

Scanned by CamScanner

11. रेलवे में डकैती एवं लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई है जिसका राज्य की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसपर रोक–थाम लगायी जाय।

– अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।

12. अपराधः–

(i) जिन थानों में अपराध बढ़ा हुआ है उनकी शीर्षवार पहचान की जाय, उसके रोक–थाम के उपाय किये जाये और उस थाना के अधिकारी की भूमिका का भी मूल्यांकण किया जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

(ii) CSP द्वारा प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा अपराध अनुसंधन विभाग द्वारा की जाय और दुरूपयोग के मामलों में प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराया जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

(iii) मार–पीट तथा दंगा के कांडों का अन्तर समझा जाय और इस संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

(iv) वाहन चोरी से संबंधित मामलों के अन्तर जिला गिरोहों की पहचान की जाय और सभी जिलों द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान किया जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

(v) साईबर अपराध एवं जाली दस्तावेज से संबंधित अपराधों के संगठित गिरोहों की पहचान कर कार्रवाई की जाय।

– आर्थिक अपराध ईकाई/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

13. महिलाओं के विरूद्ध अपराध को विशेष ध्यान देकर अलग से देखा जाय और संबंधित मामलों का त्वरित अनुसंधान एवं विचारण कराया जाय। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग को प्रचार–प्रसार करने हेतु अवश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाय।

Scanned by CamScanner

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्ष/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

14. आपराधिक मामलों में अभियुक्तिकरण पर शीघ्र निर्णय लिया जाय और किसी भी स्तर पर बिना ठोस साक्ष्य के बार–बार अभियुक्तिकरण नहीं बदला जाय।

– अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

15. जिले में जिला मॉनिटरिंग कमिटि की मीटिंग मासिक तौर पर की जाय और न्यायिक अधिकारियों के साथ संवाद बढ़ाया जाय।

– सभी क्षेत्रीय पुलिस उप– महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

16. त्वरित विचारण की गति में तेजी लाने की आवश्यकता है। पुलिस मुख्यालय इस विषय में पुलिस अधीक्षक से प्रतिदिन बात कर अनुश्रवण करेगा।

– पुलिस मुख्यालय।

17. आसूचना तंत्र को और सुदृढ़ किया जाय। सामाजिक तनाव फैलाने वाली सूचना फैले उसके पूर्व विशेष शाखा उनका संज्ञान लें और उसका समाधान किया जाय। आसूचना संकलित करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाय।

– विशेष शाखा, बिहार, पटना।

18. हाल के दिनों में कुछ जिलों में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं में कमी आई है इसके कारणों का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि प्रशासनिक या विधिक कारणों से ऐसे परिवर्तन हुए हैं तो उसकी पहचान की जाय।

– विशेष शाखा, बिहार, पटना।

19. साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उनपर निरंतर निगरानी रखी जाय और शांति समिति गठित कर साम्प्रदायिक समस्याओं का समाधान किया जाय।

– विशेष शाखा, बिहार, पटना।

20. साम्प्रदायिक मामलों में शीघ्रातिशीघ्र अनुसंधान पूरा किया जाय और त्वरित विचारण की कार्रवाई की जाय

Scanned by CamScanner

– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

21. तलवारों का बिक्रय प्रतिबंधित है, इसमें संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जाय तथा आवश्यक कानूनी कारवाई की जाय।

– विशेष शाखा, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप– महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, बिहार।

22. मद्य निषेध के विषय में सभी थानाध्यक्षों से पूर्व की भाँति प्रमाण–पत्र लिया जाय कि उनके थाना क्षेत्र में शराब का कोई कारोबार नहीं चल रहा है। शराब बरामदगी के मामलों में गहराई से छान–बीन की जाय और ड्राईवर एवं खलाशी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखा जाय। इस धंधे के जो मुख्य सरगना हैं उनपर कानूनी कारवाई सुनिश्चित की जाय।

– आर्थिक अपराध इकाई/पुलिस महानिरीक्षक(मद्य निषेध)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

23. मद्य निषेध नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर एवं पुलिस हेल्पलाईन नम्बर का प्रचार–प्रसार किया जाय और बिजली के पोल इत्यादि पर इन नम्बरों को प्रदर्शित किया जाय।

– सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

24. थाना में लैण्डलाईन फोन चालू कराया जाय और उसे सदैव क्रियाशील रखा जाय।

– सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

25. थानों में लंबित वारंट एवं कुर्की–जप्ती का शीघ्र निष्पादन कराया जाय और पुलिस मुख्यालय द्वारा उनका अनुश्रवण किया जाय।

– पुलिस मुख्यालय।

26. प्रत्येक थाना में एक कम्प्यूटर नेट की सुविधा सहित एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ बिहार विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

– पुलिस मुख्यालय।

27. थानों में आगन्तुकों को बैठने के लिए स्थान तथा फर्नीचर की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

– पुलिस मुख्यालय/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

Scanned by CamScanner

28. थानों को स्टेशनरी एवं अन्य दैनिक कार्य के लिए श्रेणीवार राशि उपलब्ध कराई जाय और एक तिहाई राशि खर्च होने पर पुनः भरपाई की जाय।

– पुलिस मुख्यालय/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार। ।

29. प्रत्येक थाना में एक एम0बी0ए0 उत्तीर्ण थाना प्रबंधक जो थानाध्यक्ष के अधीन कार्यरत होगा और कोर पुलिसिंग के अतिरिक्त अन्य अनुसांगिक कार्य करेगा, की व्यवस्था बिहार विकास मिशन करेगा।

– गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय।

30. राज्य में 169 थाना भूमिहीन एवं भवनहीन हैं। प्राथमिकता के आधार पर इनके लिए भूमि का चयन कर भवन का निर्माण कराया जाय। भूमि नीची–ऊँची होने के आधार पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अनावश्यक रूप से भूमि चयन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पुलिस केन्द्रों के लिए भी भूमि का शीघ्र चयन किया जाय।

– पुलिस मुख्यालय/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

31. संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित होने पर क्षेत्राधिकार के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने में टाल–मटोल न की जाय। बाद में घटनास्थल निर्धारित होने पर संबंधित थाने को कांड स्थानान्तरित किया जा सकता है।

– पुलिस मुख्यालय/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

32. थाना स्तर पर विधि–व्यवस्था एवं अनुसंधान का पृथककंरण दिनांक 31.10.2018 तक सुनिश्चित कर दिया जाय।

– पुलिस मुख्यालय।

33. पैसा लेते हुए पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी कर्मियों के विरूद्ध मात्र विभागीय कार्यवाही करना पर्याप्त नहीं है बल्कि प्राथमिकी भी दर्ज की जाय।

– पुलिस मुख्यालय/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक /क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

34. थाना दैनिकी अद्यतन रखी जाय।

–सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

Scanned by CamScanner

35. प्रायः सभी थानों में महिला पुलिस की पदस्थापना होनी है। अतः सभी थानों के लिए महिला शौचालय के निर्माण की योजना तैयार की जाय।

– पुलिस मुख्यालय/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

36. आगामी त्योहारों के मद्देनजर मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं पुलिस तैयारी की समीक्षा करेंगें।

(के0 एस0 द्विवेदी),
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 178 /एक्स0एल0(गो0)

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 22/09/2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना /माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना को कृपया अवलोकनार्थ।
2. सभी पुलिस महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक(रेल सहित)/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक(रेल सहित)/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक /सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
3. पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण एवं संकलन पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना करेंगें।

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner